तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील डिकी/टी.ए./2002/203/उदयपुर **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	
4–11–2019	**खण्ड–पीठ** **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थिति :–** श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक अपीलार्थी श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट **निर्णय** 1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 8–10–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर, सलूम्बर में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि जमाबन्दी संवत 2033–36 के खाता संख्या–68 की किता 33 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलार्थी संख्या–1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या–2 के पिता माधू पुत्र लिम्बा की खातेदारी में थी। माधू की मृत्यु करीब 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान एकमात्र वादीगण ही हैं। माधू की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या–200 से उक्त आराजी सुन्दर, मोगी बेवा माधू की खातेदारी में आ गई। सुन्दर की भी मृत्यु हो चुकी है और उसका माधू के कुटुम्ब से कोई रिश्ता नहीं है। माधू की जायदाद में मोगी का हिस्सा 3/4 एवं 1/4 हिस्सा श्रीमती पूंजी के नाम दर्ज होना चाहिये था। वादी संख्या–2 माधू की पुत्री एवं नाथू की विवाहिता पत्नी है। वाद पत्र की मद संख्या–2 के द्वारा पुराने खसरा नम्बर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी.ए./2002/203/उदयपुर** **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से नये खसरा नम्बरी बने हैं। ग्राम घुघरवाड़ा की पर्चा खतौनी संवत 2039 खाता नम्बर–136 के देखने से मालुम हुआ कि भू प्रबन्ध अधिकारियों ने शंकर पिता तुलसी मेघवाल के नाम मृतक माधू के खाते की सारी जमींन किता 33 प्रतिवादी शंकरलाल के वारिसों के नाम दर्ज कर दी है और वादी संख्या–1 के नाम कुछ भी दर्ज नहीं किया गया जबकि माधू की पत्नी होने के कारण उसका नाम दर्ज होना चाहिये था। अन्त में उन्होंने प्रार्थना की कि वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट में वर्णित भूमि वादीगण के दर्ज करवाई जाये एवं उक्त भूमि से वादीगण का नाम खारिज फरमाया जाये।

3– प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया और दावा के तथ्यों को स्वीकार करने से इन्कार किया। प्रतिवादीगण ने वादी संख्या–2 पूंजी को माधू की पुत्री मान लिया। आगे जवाबदावा में कथन किया कि माधू ने मरने से पूर्व मोगी की पुत्री पूंजी एवं सुन्दर की पुत्री रतन के पुत्र शंकर के मध्य अपनी स्वअर्जित जायदाद का बंटवारा कर दिया और वादी संख्या–2 पूंजी एवं प्रतिवादी संख्या–1 को जरिये बक्शीशनामा भूमि अन्तरित कर दी और तभी से ही प्रतिवादी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। अन्त में निवेदन किया कि दावा हरजा–खर्चा सहित खारिज किया जाये।

4– दावा एवं जवाबदावा के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने निम्न तनकीयात कायम की :–

(1) आया ग्राम घूघरवाड़ा तहसील खैरवाड़ स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर–1352, 1353, 1357, 1358, 1362, 1364 से 1376, 1431, 1432, 1434, 1426, 1392 और 1393 किता 24 रकबा 2.94 हैक्टेयर उसके पुराने खसरा नम्बर–838 से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी.ए./2002/203/उदयपुर** **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	860, 912 से 921 उक्त 33 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। .....जिम्मे वादीगण **(2) आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है। .....जिम्मे वादीगण** **(3) दादरसी।** 5– वाद में वादिया ने स्वयं अपने, गवाह कालू, पूना, जीवा, मरता के बयान दर्ज करवाये एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी के स्वयं के तथा उसके गवाह प्रेमनाथ जोगी के बयान दर्ज करवाये गये। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30–7–1999 को निर्णय पारित किया जिसमें वादिया का दावा निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर में प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–10–2001 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 8–10–2001 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 6– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 7– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–10–2001 विधि विरूद्ध, दोषयुक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादी शंकर ने अपने हक में किसी तरह की लिखा पढ़ी होना दर्ज जवाबदावा नहीं किया है, बल्कि बंटवारा कर देना लिखा जो पेश सुदा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी.ए./2002/203/उदयपुर** **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शहादतों के साबित नहीं होता है बल्कि प्रतिवादी ने एक बक्शीशनामा पेश किया है जो न तो कानून के अनुसार है और न ही ऐसे दस्तावेज से प्रतिवादी को कोई हक ही पैदा होता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर ने वादीगण द्वारा प्रतिवादी की जिरह में पूछे गये प्रश्न का जवाब आने के पूर्व ही जिरह बन्द कर दी, जो कानून के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय कानून के सर्वमान्य सिद्धान्त की दीगर प्लीडिंग तथा तनकीयात के बिना किसी तरह शहादत कानून से ग्राह्य नहीं होती है उसको अनदेखी कर प्रतिवादी के बक्षीसनामे का साबित होना मानने में गलती हुई है। प्रतिवादी शंकर का बक्षीसनामा न तो कानून के अनुसार निष्पादित किया हुआ है और न यह दस्तावेज कानून के अनुसार ही साबित हुआ है, ऐसी सूरत में दोनों अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित नहीं करना चाहिये था। अपीलार्थी मृतक माधू की पुत्री व पत्नी हैं जो प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–60 व 65 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया है कि :–

Mere admission of document and making exhibit on douement in evidence does not dispense with its proof.

(1) RRT-2010(2) (S.C.) Page-981

(2) RLW-1959 Page-265

8– सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा–122 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री / टी.ए. / 2002 / 203 / उदयपुर** **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर कहा कि इनमें यह अभिमत प्रकट किया है कि उन्होंने बख्शीशनामा पर उपहार देने वाले तथा उपहार लेने वाले दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिये :–

(i) RBJ-2016 Page-48

(ii) RBJ-2016 Page-138

इसी अधिनियम की धारा–123 के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया :–

1– आरएलआर–2006(1) पेज–539

9– व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–6 नियम–1 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया है कि "Variance between pleadings and proof is not permissible" इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :–

1– एआईआर–1988 (एस.सी.) पेज–2181
2– आरआरडी–1968 (एच.सी.) पेज–143
3– आरआरडी–1990 पेज–364
4– आरआरटी–2002(1) पेज–420

10– हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा–5 व 11 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया है–

"When the first wife is alive and not divorced, the second woman will not get the status of wife."
निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :–

1- AIR-2005 (S.C.) Page-422
2- AIR-1994 (Karnataka) Page-226

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील डिकी/टी.ए./2002/203/उदयपुर</u>** **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11– रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बहस का उत्तर देते हुये कथन किया कि बख्शीशनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है। इस बख्शीशनामा को रद्द करवाने के लिये अपीलार्थीगण को सक्षम सिविल न्यायालय में जाना चाहिये था लेकिन वादिया सिविल न्यायालय में नहीं गई। जब तक उक्त दस्तावेज सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वह एक वैध दस्तावेज है। अतः वादियां का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि बक्शीशनामा एक शून्य प्रभावी दस्तावेज हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती है इसलिये उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है। 12– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों का भी आदरपूर्वक परिशीलन किया। 13– पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त ज्ञात होता है कि ई.एक्स. पी–1 जमाबन्दी संवत 2033–36 की खाता संख्या–68 के किता 33 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा पर माधू पुत्र लिम्बा चमार साकिन देह दर्ज है। इसमें लाल स्याही से नोट लगा है **''नामान्तरकरण संख्या–200 से सुन्दर, मोगी बेवा माधू का नाम विरासत से दर्ज होगा।''** इस प्रकार यह भली–भांति साबित है कि विवादित भूमि माधू पुत्र लिम्बा की थी। इससे पूर्व की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गयी है जो यह सिद्ध कर सके कि विवादित भूमि पुश्तैनी थी। अतः अन्य कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण यह माना जाता है कि उक्त आराजी माधू की	

स्वअर्जित सम्पत्ति थी, न कि पैतृक। स्वअर्जित भूमि का अन्तरण करने के लिये माधू स्वतंत्र था।

14— प्रदर्श ए—1 पंजीकृत बक्शीशनामा है जो माधू ने शंकर पुत्र तुलसी एवं पूंजी पत्नी नाथू के हक में निष्पादित किया था जो दिनांक 23—9—1974 को उप पंजीयक कार्यालय खेरवाड़ा में पंजीकृत हुआ था। इस बख्शीशनामा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर—838, 839, 841, 843, 846, 848, 849, 851, 852, 853, 855, से 860, 912 से 914, 916 से 918, 920, 854 तथा 838 का 1/4 हिस्सा किता 25 रकबा 9 बीघा शंकर पुत्र तुलसी के पास रहेगा तथा खसरा नम्बर—842, 844, 845, 847, 850, 915, 919, 921, 838 व 854 किता 10 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा श्रीमती पूंजी पत्नी नाथू के पास रहेगा।

15— बख्शीशनामा एक वैधानिक दस्तावेज है जो कि उप पंजीयक कार्यालय, खैरवाड़ा में पंजीकृत हुआ है। जब तक उक्त बख्शीशनामा किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक वह वैध दस्तावेज है और इसकी वैधता को चुनौती राजस्व न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। सिविल न्यायालय में ही इसे चुनौती दी जा सकती है। अभी तक इस बख्शीशनामे को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाने के कारण इसके आधार पर भूमि का विभाजन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बाध्य हैं। नामान्तरकरण संख्या—200 विरासतन खोला गया है। जब माधू ने एक पंजीकृत बख्शीशनामा तस्दीक कर दिया था तब विरासतन नामान्तरकरण नहीं खोला जाना

चाहिये था। परीक्षण न्यायालय को इस बख्शीनामा के संबंध में साक्ष्य ग्रहण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर त्रुटि कारित की है।

16– अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया था कि प्रतिवादी शंकर से जिरह अधूरी रह गयी थी। हमारा यह विनम्र मत है कि परीक्षण न्यायालय को प्रतिवादी शंकर की जिरह पूरी करने का अवसर दिया जाना चाहिये था लेकिन उसकी जिरह पूरी नहीं होकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि हो गयी है। शंकर की मृत्यु हो चुकी है अतः अब जिरह हो नहीं सकती है इसलिये अब इस स्टेज पर इस आपत्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

17– भू प्रबन्ध विभाग ने किस आधार पर भूमि का अंकन वादी व प्रतिवादियों के मध्य किया है वह समझ से परे है। जब कोई पंजीकृत वैध दस्तावेज उपलब्ध हो तो केवल और केवल उस दस्तावेज के माध्यम से ही भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिये। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया राजस्व रिकार्ड में अंकन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है और यह अंकन निरस्त किये जाने योग्य है।

18– प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में यह अंकित किया है कि माधू ने अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमि को वादी व प्रतिवादी के मध्य विभाजित कर दिया था और उसके आधार पर ही दोनों पक्ष काबि काश्त हैं। इस तथ्य के आधार पर परीक्षण न्यायालय को तनकी बनानी चाहिये थी जिसे सिद्ध करने का

जिम्मा प्रतिवादी का होता। अतः इस तथ्य के आधार पर तनकी नहीं बनाई जाकर परीक्षण न्यायालय ने विधिक भूल की है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी उक्त तथ्यों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है।

19– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हैं वे इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि बख्शीशनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है जिस शून्य प्रभावी करार देने का कार्य सिविल न्यायालय का है न कि राजस्व न्यायालय का। अतः बख्शीशनामा को जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य प्रभावी घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक वह एक वैधानिक दस्तावेज है और इसके आधार पर ही भूमि का नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये। जहां तक हिन्दू विवाह अधिनियम के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का विषय है वे भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। यहां पर नाामान्तरकरण विरासतन नहीं खोला गया है जिसमें मृतक माधू के वैध वारिसान की पहचान करनी हो। सुन्दर व शंकर माधू के वारिस थे अथवा नहीं। इसकी पहचान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मृतक माधू ने बख्शीशनामा शंकर व पूंजी के हक में तस्दीक किया था और इस बख्शीशनामा के आधार पर ही दोनों के अधिकार निर्धारित होने थे।

20– उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की। न तो सम्यक् तनकी बनाई और न प्रतिवादी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री / टी.ए. / 2002 / 203 / उदयपुर** **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शंकर की जिरह पूरी होने दी और न ही विधिसम्मत निर्णय प्रदान किया। इसी तरह न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने भी बिना तथ्यों को देखे सरसरी तौर पर ही निर्णय सुना दिया जिसे न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। अतः उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं।

21– अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनाक 8–10–2001 एवं सहायक कलेक्टर, सलूम्बर का निर्णय दिनांक 30–7–1999 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावा व जवाबदावा के आधार पर उचित तनकीयात कायम करें। यदि साक्ष्य की आवश्यकता हो तो साक्ष्य ग्राहण करें तथा बख्शीशनामा को ध्यान में रखकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी.ए./2002/203/उदयपुर** **श्रीमती पूंजी बनाम शंकर (मृतक) के विधिक वारिसान :– मगन वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए